भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय, धालभूम जमशेदपुर।

दिनांक	आदेश	की गई कार्रवाई
30/11/2019	अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या-02/19-20 प्राप्त हुआ है, जो मूल रूप से अभिलेख के साथ संलग्न है। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण अभिलेख संख्या -02/19-20 उल्लेख किया गया है कि मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-09 खाता नं0-736 प्लॉट नं0- 2744, रकवा-0.03.70हे0 भूमि हाल सर्वे खतियान के अनुसार नियामत अली, पिता रूपी मियाँ के नाम से दर्ज है। खतियान में काबिल लगान दर्ज है। वर्तमान में आवेदित भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा है। अंचल अमीन के द्वारा तैयार ट्रेश नक्शा एवं रेन्ट रोल तीन प्रति में संलग्न है। संबंधित राजस्व उप निरीक्षक, अंचल अमीन एवं अंचल निरीक्षक ने मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो, वार्ड नं0-09 खाता नं0-736 प्लॉट नं0-2744 रकवा-0.03.70हे0 भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/- रू0 प्रति कट्ठा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस की दर से वसूली हेतु खतियानी रैयत नियामत अली पिता रूपी मियाँ के नाम पर लगान निर्धारण हेतु अनुशंसा किया गया है। अतः अभिलेख में वर्णित तथ्यों, संलग्न कागजात, रेन्ट रोल, ट्रेश नक्शा एवं अंचल अधिकारी मानगो के द्वारा लगान निर्धारण हेतु की गई अनुशंसा के आलोक में मौजा-अधिसूचित क्षेत्र मानगो वार्ड नं0-09 खाता नं0-736 प्लॉट नं0- 2744 रकवा-0.03.70हे0 भूमि का वार्षिक लगान वर्ष 1981 से 3/- रू0 प्रति कट्ठा एवं वर्ष 1998 से 10 रूपया प्रति डिसमील अलावे सेस की दर से खतियानी रैयत नियामत अली पिता-रूपी मियाँ, सा0- जवाहरनगर, मानगो के नाम से लगान निर्धारण की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल रूप में अंचल अधिकारी, मानगो को भेजें। 30/11/2019 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर। 30/11/2019 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, धालभूम, जमशेदपुर।	

Scanned by CamScanner